पत्रांक-अ0स0क0-04-03/2014 278

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो0एस0आई0फैसल

विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

कुलसचिव,

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय,

पटना ।

पटना, दिनांक :- ...31/5/18

विषयः- राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत कोचिंग केन्द्रों के चयन तथा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न कोचिंग कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विनियम अनुमोदन के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक- F-1055/17 RE-105 दिनांक- 19.03.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से प्राप्त राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत कोचिंग केन्द्रों के चयन तथा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न कोचिंग कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु आपसे प्राप्त विनियम की कंडिका-7 'घ' में अंकित मानक (जिसके संबंध में अगले सत्र में निर्णय लिया जाना युक्तिसंगत होगा) को छोड़कर निम्न रूप में विभागीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कोचिंग कार्यक्रम सहायक मार्ग निर्देशिका

1. कोचिंग केन्द्र के चयन हेतु मापदण्ड
   - सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान यथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य सरकारी स्वायत शिक्षण संस्थाएं ।
   - शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एवं प्रसिद्ध अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो जिला मुख्यालय में अवस्थित हो ।
2. कोचिंग केन्द्र संचालन हेतु न्यूनतम मूलभूत सुविधायें :-
   - 60 एवं 30 छात्रों की क्षमता वाले दो सुविधायुक्त शिक्षण कक्ष ।
   - 20 छात्रों की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी-कम-रीडिंग रूम ।
   - कार्यालय कार्य हेतु एक कक्ष ।
   - छात्रावास, मेस, कैन्टीन (वांछनीय)।
   - प्रोजेक्टर, माइक एवं अन्य आवश्यक पठन-पाठन उपस्कर/ सामग्री ।
   - बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम
   - मूलभूत सुविधायें यथा टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली आदि ।
3. कोचिंग के संचालन हेतु आवश्यक मानक :-
   - समुचित संख्या में योग्य विषय-वार शिक्षक उपलब्ध हों । कोचिंग हेतु शिक्षकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जायेगा ।

- केन्द्र में कम से कम 30 बच्चों का नामांकन किया गया हो । छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा ।
- केन्द्र संचालन एवं आय व्यय के ब्यौरा रखने हेतु आवश्यक स्टॉफ मौजूद हों ।
- शिक्षण संस्थान द्वारा केन्द्र समन्वयक (Centre Coordinator) नामित किया जाना आवश्यक है ।

4. राशि विमुक्ति के चरण :-

नोडल एजेंसी द्वारा आवंटित राशि की विमुक्ति एकमुश्त में न कर, निम्नलिखित चरणों में की जायेगी :-

(i) नोडल एजेंसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हस्ताक्षरित करने के उपरांत, बजट राशि का 20 प्रतिशत, कोचिंग संस्थान को विमुक्त की जायेगी ।

(ii) सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् 30 प्रतिशत की राशि निर्गत की जायेगी ।

(iii) 50 प्रतिशत वर्ग संचालन पूर्ण होने के पश्चात् नोडल एजेन्सियों द्वारा Mid Term Assessment किया जाएगा तथा कोचिंग केन्द्रों के Mid Term Assessment Report के आधार पर 30 प्रतिशत की राशि निर्गत की जायेगी ।

(iv) उक्त तीन चरणों में निर्गत कुल 80 प्रतिशत राशि की व्यय विवरणी एवं संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण प्राप्त होने के उपरांत शेष 20 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी । शेष 20 प्रतिशत राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कोचिंग केन्द्रों के द्वारा विश्वविद्यालय (नोडल एजेंसी) को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. निरीक्षण :-

समय-समय पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (DMWO) द्वारा कोचिंग संस्थान का निरीक्षण कर एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन नोडल एजेंसी एवं विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सभी प्रकार से योग्य पाये गये कोचिंग संस्थानों को अंतिम 20 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी ।

6. जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण समिति का गठन :-

कोचिंग कार्यक्रम में सतत निगरानी एवं प्रभावकारी अनुश्रवण हेतु जिलास्तर पर निम्न प्रकार से एक कमिटी गठित की जायेगी :-

उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
जिला शिक्षा पदाधिकारी/ प्रोग्राम ऑफिसर	सदस्य
कोचिंग संस्थान के प्राचार्य एवं केन्द्र समन्वयक	सदस्य
नोडल एजेंसी (मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना) द्वारा प्रतिनियुक्त एक प्रतिनिधि	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव

समिति प्रत्येक माह बैठक कर कोचिंग की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण करेगी एवं इसको और बेहतर बनाने हेतु अपना सुझाव नोडल एजेंसी/ इस विभाग को उपलब्ध करायेगी।

7. उपलब्धि का माप दण्ड :-

कोचिंग संस्थान की उपलब्धि वहां कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की उपस्थिति, अध्ययन स्तर, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता आदि से आंका जायेगा । इसके लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

क्र०सं०	उपलब्धि का माप दण्ड	न्यूनतम उपलब्धि
(क)	कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन का 80%
(ख)	सत्र के अन्त में नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित जांच परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता का प्रतिशत	नामांकन का 70%
(ग)	संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत	नामांकन का 90%

कोचिंग केन्द्रों की रैंकिंग उक्त मापदण्डों के अनुसार ही की जायेगी एवं उसी आधार पर अगले सत्र की कोचिंग जारी रखने पर विचार किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक : 273 / पटना, दिनांक 8/5/18

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । विभिन्न कोचिंग कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विनियम की कंडिका- 05 एवं 06 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

विशेष सचिव-सह-निदेशक